झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं० सं-7ए/विविध-13-15/08 /स्वा०, रांची, दिनांक.......

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय चिकित्सा पर्षद (संशोधन अधिनियम) 1993 की धारा 10 (ए) एवं 10 (बी) के अनुसार भारत सरकार तथा एम० सी० आई० की बिना पूर्व अनुमति प्राप्त कॉलेज के द्वारा प्रदत चिकित्सा शैक्षणिक योग्यता को इस अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता नही दी गई है । समरूप प्रावधान दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के लिए भी डेन्टिस्ट संषोधन अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है ।

इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में स्नातक स्तरीय चिकित्सा विज्ञान/दन्त चिकित्सा विज्ञान के निम्नलिखित महाविद्यालय ही भारतीय चिकित्सा पर्षद (एम० सी० आई०) तथा डेन्टल कॉउंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त है :-

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल

1- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची

2- पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद

3- महात्मा गाँधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर

दन्त चिकित्सा महाविद्यालय

1- वनांचल डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, गढ़वा (निजी क्षेत्र में)

2- अवध डेन्टल कॉलेज, जमशेदपुर (निजी क्षेत्र में)

3- हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्सेस एण्ड हॉस्पीटल, हजारीबाग (निजी क्षेत्र में)

भारत सरकार की अनुमति के बिना यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय संचालित होता है तो इसका संचालन गैर कानूनी होगा और अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अपराधिक कृत्य माना जायेगा । इस प्रकार के किसी महाविद्यालय की सूचना यदि आपको हो तो उसकी सूचना संबंधित जिला के उपायुक्त एवं अधोहस्ताक्षरी को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

सभी छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सचेत किया जाता है कि गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय /दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन नही करायें।

यदि मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में भी नामांकन, शिक्षण कार्य, परीक्षा में धांधली, आवासन में असुविधा अथवा किसी भी तरह की वित्तीय 'शोषण आदि की शिकायतें आपके संज्ञान में हो, तो इसकी सूचना राज्य सरकार को दे सकते हैं ।

ह0/-

(एहतेशामुल हक)
सरकार के उप सचिव